

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिल्हा कलक्टर एवं जिल्हा मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 567/2023 (धारा 14 सिक्थोरिटाईजेशन)

एडिटेड फिनॉन्सेट ग्रुपिंटेड लिमिटेड, शाखा कार्यालय 808-808, जयपुर लाल, सिटी कॉम्प्लेक्स, मालवीय मार्ग,
सी-स्कॉम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. शौरभ कर्मीकर जसिंथे ड्रोपराईटर मदन लाल जागिड पुत्र रामजीलाल जागिड
पत्ता :- पट्टा नम्बर 8, ग्राम मुण्डियारामसर, पंचायत समिति झोटवाडा, सिरसी रोड, जयपुर।
एवं पट्टा नम्बर 15, ग्राम पंचायत निमेडा, पंचायत समिति झोटवाडा, सिरसी रोड, जयपुर।
2. श्री मदन लाल जागिड पुत्र रामजीलाल जागिड
3. श्री मंजु देवी घल्ली मदनलाल जागिड
निवासी :- निमेडा, सिरसी रोड, तहसील जयपुर।



उपस्थित :-

1. श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

आदेश

दिनांक 26.07.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थीया श्रीमती मंजु देवी के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा संख्या 8 का 3/4 हिस्सा, ग्राम मुण्डियारामसर, पंचायत समिति झोटवाडा, सिरसी रोड, जिला जयपुर पर स्थित आवासीय भूखण्ड का उत्तरी भाग क्षेत्रफल 65.25 वर्गगज एवं श्री मदनलाल जागिड के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा संख्या 15, ग्राम निमेडा, ग्राम पंचायत निमेडा, पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर पर स्थित आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 135 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 28.06.2019 को राशि 22,42,055/-रूपये दिनांक 30.06.2020 को 4,40,000 कुल 26,82,055/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिकता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 का सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **26,82,055/-** रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **25,43,944.85/-** रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **03.11.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीया **श्रीमती मंजू देवी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पट्टा संख्या 8 का 3/4 हिस्सा, ग्राम मुण्डियारामसर, पंचायत समिति झोटवाडा, सिरसी रोड, जिला जयपुर पर स्थित आवासीय भूखण्ड का उत्तरी भाग क्षेत्रफल 65.25 वर्गगज एवं श्री मदनलाल जांगिड के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 15, ग्राम निमेडा, ग्राम पंचायत निमेडा, पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर पर स्थित आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 135 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।**
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
7. आदेश आज दिनांक **26.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।




 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर